

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

कान्ता कुमावत वगै0

बनाम

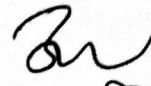
श्रीमति गंगा कुमावत वगै0

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 48 / 2022

Online No. 2022/57

21.01.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-48/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

## उनवान

- 1 कान्ता पुत्री भूरा कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
- 2 देबीलाल पुत्र भूरा कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
- 3 प्रेमशंकर पुत्र भूरा कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

## बनाम

1. श्रीमति गंगा पत्नी स्व० श्री भैरूलाल कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति सजनी पत्नी भैरूलाल कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति अर्चना पत्नी सुशील कुमार जैन निवासी 1 एफ 11 चन्द्रशेखर आजादनगर भीलवाडा।
4. कैलाशचन्द्र पुत्र प्रेमशंकर तोतला निवासी पटेलनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति छाउदेवी पत्नी नारु कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. प्रेमचन्द्र पुत्र सोहनलाल जैन निवासी बी-303 शास्त्रीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. अशोक पुत्र नोरतमल जैन निवासी जी-210 आजादनगर भीलवाडा।
8. नरेन्द्र कुमार पुत्र प्यारेलाल सेठी निवासी जी-8-ए-1 आर०सी० व्यास कालोनी लव गार्डन के पास भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. राज० राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक 21.01.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोरडा प०ह० गठिलाखेडा भू०अ०नि० आटूण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1455/3 रकबा 1.0116 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम बोरडा प०ह० गठिलाखेडा भू०अ०नि० आटूण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1455/3 रकबा 1.0116 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः एवं

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरडा प0ह0 गठिलाखेडा भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1455/3 रकबा 1.0116 हैक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 200/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक आटूण 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 आटूण जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

  
(ओम प्रभा)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 21.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा